भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2334

21 दिसम्बर, 2022 के लिए प्रश्न

भारत की मौजूदा खाद्य प्रणाली का प्रभाव

2334. सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्यावरण की गुणवत्ता पर भारत की मौजूदा खाद्य प्रणाली के प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा भंडारण और परिवहन के दौरान खाद्य नुकसान को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, साथ ही वर्ष 2019 से भंडारण और पारगमन के दौरान नष्ट होने वाले खाद्यान्न की मात्रा सहित राष्ट्रीय औसत के साथ-साथ तमिलनाडु में रिपोर्ट किए गए खाद्य नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में विशेषरूप से तमिलनाडु राज्य में मौजूदा स्टील साइलो की संख्या कितनी है, साथ ही वर्तमान में विकसित हो रहे साइलो और भविष्य में बनाए जाने वाले साइलो का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा फार्म स्तर पर छोटे आकार की भंडारण इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देने/समर्थन देने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ड.) सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों के नुकसान और बर्बादी से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवाचारों के वित्तपोषण में किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): विभाग द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख): भंडारण और पारगमन (ट्रांजिट) के दौरान खाद्यान्नों की हानि को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम अनुबंध में दिए गए हैं। वर्ष 2019 से खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) की भंडारण और मार्गस्थ (ट्रांजिट) हानियों का ब्यौरा (तमिलनाडु राज्य सहित) निम्नानुसार है:

भंडारण हानियां:

(मात्रा लाख टन में)

वर्ष	प्राप्त मात्रा	हानि का %
2019-20*	868.50	-0.14
2020-21*	1312.95	-0.13
2021-22*	1420.63	-0.23
2022-23 (नवंबर, 2022 तक)**	786.14	-0.04

(-) लाभ को दर्शाता है, (*)लेखापरीक्षित आंकड़ों को दर्शाता है, (**)अनंतिम आंकड़ों को दर्शाता है।

....2/-

मार्गस्थ हानियां:

(मात्रा लाख टन में)

वर्ष	संचालित मात्रा	हानि का %
2019-20*	409.64	0.23
2020-21*	618.74	0.24
2021-22*	646.89	0.22
2022-23 (नवंबर, 2022 तक)**	382.69	0.24

(*)लेखापरीक्षित आंकड़ों को दर्शाता है, (**)अनंतिम आंकड़ों को दर्शाता है।

(ग): अभी तक, तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर और चेन्नई में 0.25 लाख टन क्षमता के 2 स्टील साइलोज़ सहित भारत में 17.75 लाख टन की क्षमता के कुल 31 स्टील साइलोज़ का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त, हब और स्पोक मॉडल के तहत, 111.125 लाख टन क्षमता के 249 स्टील साइलोज़ को भी चरणबद्ध रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ड.): वैज्ञानिक भंडारण क्षमता सहित कृषि विपणन अवसंरचना के सृजन हेतु, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय देशभर में कृषि विपणन हेतु एकीकृत योजना (आईएसएएम) की पूंजीगत सब्सिडी "कृषिगत विपणन अवसंरचना (एएमआई)" उप-योजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम की शुरूआत से और दिनांक 31.11.2022 तक, 740.43 लाख टन भंडारण क्षमता के साथ 42,164 भंडारण अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 343590.30 लाख रुपए की सब्सिडी जारी की गई है।

*****

अनुबंध

लोकसभा में दिनांक 21.12.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2334 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

भण्डारण और ट्रांजिट हानि को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदम का ब्यौरा निम्नानुसार है:

भण्डारण हानि:

- मासिक कार्य-निष्पादन समीक्षा बैठकों (एमपीआर) में भण्डारण हानि की समीक्षा की जाती है।
- मुख्यालय/अंचल/क्षेत्र/जिला स्तरों पर भंडारण हानि की समीक्षा।
- कवर्ड भण्डारण क्षमता में वृद्धि/कमी के लिए संशोधित मानदंडों का कार्यान्वयन।
- अत्यधिक भंडारण हानि दर्शाने वाले डिपुओं के निरीक्षण में तेजी लाना।
- कैप भंडारण को कम करने के लिए कवर्ड भंडारण क्षमता में वृद्धि करना।
- समय-समय पर खाद्यान्न स्टॉक का रोगनिरोधी और उपचारात्मक उपचार।
- पर्याप्त सुरक्षा और सीसीटीवी आदि की संस्थापना।
- चारदीवारी में कंटीले तारों की बाड़ लगाने, गोदामों की रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था और शेडों की उचित लॉकिंग जैसे वास्तविक उपायों की नियमित समीक्षा की जाती है ताकि गोदामों की सुरक्षा की जा सके।
- अनुचित हानियों के लिए दोषी कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई, एजेंसियों जैसे सीडब्ल्यूसी/एसडब्ल्यूसी और राज्य एजेंसियों से अनुचित हानि के प्रति वसूली।

ट्रांजिट हानि:-

- मासिक कार्य-निष्पादन समीक्षा बैठकों (एमपीआर) में ट्रांजिट हानि की समीक्षा की जाती है।
- मुख्यालय/अंचल/क्षेत्र/जिला स्तरों पर ट्रांजिट हानि की समीक्षा।
- बिखरे हुए अनाज को इकट्ठा करने के लिए रेलवे वैगनों के फर्श पर पॉलिथीन शीट बिछाना।
- अधिक ट्रांजिट हानि होने पर जिम्मेदारी तय करने के लिए संयुक्त सत्यापन। संयुक्त सत्यापन के लिए न्यूनतम सीमा को 1% से घटाकर 0.75% कर दिया गया है और पुन: दिनांक 01.10.2022 से इसे 0.50% तक कर दिया गया है।
- मार्ग में चोरी से बचने के लिए उच्च सुरक्षा मुहर के उपयोग द्वारा दिनांक 01.10.2022 से तीन माह के लिए सभी क्षेत्रों में एक प्रयोग किया जा रहा है।
- रेलहैड पर मेड-अप थैलों का भी हिसाब रखा जा रहा है।
- असामान्य/अनुचित ट्रांजिट हानियों के लिए दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई।
- लदान/उठान के समय स्वतंत्र खेप प्रमाणन दस्ते (आईसीसीएस) की तैनाती।

******